

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

संख्या 6/2(iii)/2022-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग


13 मई, 2024

नई दिल्ली, दिनांक -----

23 वैशाख, 1946 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. संजय कुमार के स्थान पर श्री सुधीर श्याम (आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।